फर्द अहकाम

ायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

:—श्रीमती गंगा बाई बनाम विपक्षी :—श्री बावरी बाई व अन्य

मुकदमा — 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 23/24

क कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा. दी. पर लिखित जवाब पेश नहीं कर मौखिक सहमती देकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का जो प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया हैं उसी कृषि भूमि का प्रार्थीया द्वारा पूर्व में आप माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र संख्या 381/2012 अनवान भेरूलाल बनाम उंकार पेश किया हुआ है जिसमें दिनांक 10.02.2018 को निर्णय पारित किया गया व मूल प्रकरण के निरतारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई गई जिसके मुल प्रकरण संख्या 104/21 आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 28.11.2024 नियत हैं जिससे कानूनन नया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कार्यवाही रोके जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौखिक तौर पर अपनी भुल को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पुर्व में प्रार्थना पत्र निर्णित होने, वाद विचाराधीन होने व अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमत होने से विपक्षी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:51 IST
Reason: SelfAttested